बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–04–01/2026(स्वा0) ..../पटना, दिनांक ....

सिविल सर्जन, कटिहार के पत्रांक–1037 दिनांक–04.04.2026 द्वारा डा0 विनय कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समेली, कटिहार को शराब पीने के आरोप में पोठिया थाना पुलिस द्वारा दिनाक–01.04.2026 को अपराह्न 02:00 बजे नशे की हालत मे गिरफ्तार होने की सूचना दी गयी है। साथ ही ललित कुमार राज, कटिहार द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान शराब का सेवन करने एवं जन्म प्रमाण पत्र मे सुधार करने हेतु रिश्वत की मॉग करने की सूचना दी गई है। डॉ० सिंह के विरूद्ध भा०न०स० की धारा–308(3)/352/351(2) एवं बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा–37 के अधीन पोठिया थाना काण्ड सं0–84/2026, दिनाक–01.04.2026 दर्ज किया गया है।

2. डा0 सिंह का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)(I)(II) एवं (III) एवं नियम–4 के निहित अनुदेश के प्रतिकूल है।

3. डा0 सिंह को कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान शराब का सेवन करने के आरोप मे गिरफ्तार होने के फलस्वरूप काराधीन होने की तिथि–01.04.2026 से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) एवं (2) (क) के अधीन निलंबित किया जाता है।

4. डा0 सिंह का कारा से मुक्ति के उपरात निलबन अवधि हेतु मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. डा0 सिंह को निलबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. संदर्भित आरोपो की जॉच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु सकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

7. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांक–9/आ0–04–01/2026(स्वा0)555(9)**/पटना, दिनांक**29.05.26

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एव ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/सबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पूर्णिया प्रमडल, पूर्णिया को निदेशित है कि डॉ0 सिंह का निलबन अवधि हेतु निर्धारित मुख्यालय में योगदान स्वीकृत करेगे। उनके द्वारा दर्ज उपस्थिति का साक्ष्य प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे विभाग को प्रेषित करेंगे/सिविल सर्जन, कटिहार को निदेशित है कि डॉ० सिंह को कारा मुक्ति के उपरान्त निर्धारित मुख्यालय में योगदान करने हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपि:–माननीय मत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–डा0 विनय कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समेली, कटिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/05/2026
सरकार के अवर सचिव।